रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-जे.के.-अ.-01032024-252523 CG-JK-E-01032024-252523

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] No. 123] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लहाख)

अधिसूचना

जम्मू, 12 फरवरी, 2024

क्रमांक जेईआरसी-जेकेएल/रेग/2024/02.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पिठत धारा 39, 40, 42, 61, और 86 और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

अध्याय 1: प्रारंभ

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार

- 1.1. इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- 1.2. ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागृ होंगे।
- 1.3. ये विनियम पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

1371 GI/2024 (1)

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
- (ख) **"बैंकिंग"** का अर्थ है ग्रिड में इंजेक्ट की गई और हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा वितरण लाइसेंसधारी के पास जमा की गई अधिशेष हरित ऊर्जा और जिसे अतिरिक्त लागतों की भरपाई के लिए शुल्क के साथ निकाला जाएगा; यदि कोई;
- (ग) **"कैप्टिव उत्पादन प्लांट"** का अर्थ है समय-समय पर संशोधित विद्युत विनियम, 2005 के खंड 3 के तहत परिभाषित एक बिजली संयंत्र और ऐसे कैप्टिव प्लांट में सह-स्थित या दूर स्थित उपभोग इकाई शामिल हो सकती है:
- (घ) '**केंद्रीय आयोग**' का अर्थ है अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग:
- (ङ) **"केंद्रीय नोडल एजेंसी"** का अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एकल खिड़की हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक केंद्रीय नोडल एजेंसी।
- (च) "आयोग" का अर्थ है अधिनियम के तहत गठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग;
- (छ) **"डे अहेड मार्केट (डीएएम)"** का अर्थ है एक ऐसा बाजार जहां पावर एक्सचेंज पर डे अहेड अनुबंधों का लेन-देन किया जाता है:
- (ज) "इकाई" का अर्थ है कोई भी उपभोक्ता जिसने एकल कनेक्शन के माध्यम से या वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत प्रभाग में स्थित सौ किलोवाट या उससे अधिक के एकाधिक कनेक्शन के माध्यम से, कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर, सौ किलोवाट या उससे अधिक की मांग या स्वीकृत भार का अनुबंध किया है। हालाँकि, कैप्टिव उपभोक्ताओं के मामले में, कोई भार सीमा नहीं होगी।
- (झ) "मौजूदा ओपन एक्सेस उपभोक्ता/ग्राहक" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही किसी मौजूदा समझौते या आयोग के विनियम/आदेश के तहत राज्य में लाइसेंसधारियों के पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली से नवीकरणीय (हरित) ऊर्जा की सोर्सिंग/आपूर्ति के लिए इस विनियम के लागू होने की तिथि को ओपन एक्सेस का लाभ उठा रहा है;
- (ञ) "जीवाश्म ईंधन" का अर्थ है कोयला, लिग्नाइट, गैस, तरल ईंधन जैसे ईंधन या ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में इनका संयोजन, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए थर्मल जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है;
- (ट) "हरित ऊर्जा" का अर्थ है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा जिसमें हाइड्रो, पंप स्टोरेज, हाइड्रो उत्पादन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और भंडारण (यदि भंडारण केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है), नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा आधारित उत्पादन, बायोमास और बायोमास-आधारित सह-उत्पादन संयंत्र या कोई अन्य तकनीक जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, शामिल है और इसमें कोई भी ऐसा तंत्र शामिल होगा जो जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करता है जिसमें हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया का उत्पादन शामिल है;
- (ठ) "हिरत ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता" का अर्थ है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास 100 किलोवाट या अधिक की अनुबंध मांग या मजूर किया गया भार होता है, जो एक वितरण लाइसेन्सधारी के उसी विद्युत विभाग में स्थित एकल कनैक्शन या विभिन्न कनैक्शन के माध्यम से कुल सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक भार होता है, वह ओपन एक्सेस (कैपटिव उपभोक्ता के पास कोई भार सीमा नहीं होगी) या समय समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य सीमा तक हरित ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, जिन्हें एक लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा या उसके स्वयं के कैपटिव प्लांट से या जनता को बिजली सप्लाई करने के कारोबार में लगे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनके स्वयं के प्रयोग के लिए हरित ऊर्जा स्रोत से बिजली की आपूर्ति की जाती है, जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत कैपटिव ऊर्जा शामिल हो, और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल होता है जिसके परिसरों को वर्तमान में लाइसेंसधारी, सरकार या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति, जो भी मामला हो, के कार्यों से हरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जोड़ा गया है। हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के अंतर्गत ऊर्जा प्राप्त करने वाले कैपटिव उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति की कोई सीमा नहीं होगी।
- (ड) **"बाध्य इकाई"** का अर्थ है नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ड़) के तहत अनिवार्य इकाई, जिसमें वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपभोक्ता / उपयोगकर्ता और ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता शामिल हैं;

- (ढ) "स्टैंडबाय शुल्क" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई स्टैंडबाय व्यवस्था के विरुद्ध हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू शुल्क, यदि ऐसे हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता उन उत्पादन स्रोतों से बिजली खरीदने/शेड्यूल करने में असमर्थ हैं जिनके साथ उन्होनें उनके उत्पादक, पारेषण प्रणालियाँ और इसी तरह की अन्य चीजों के बंद होने के कारण बिजली खरीदने के समझौते किए हैं;
- (ण) **"व्हीलिंग"** का अर्थ है संचालन जिसके तहत वितरण लाइसेंसेधारी या पारेषण लाइसेंसधारी, जो भी मामला हो, की वितरण प्रणाली और संबंधित सुविधाओं का उपयोग अधिनियम की धारा 62 के तहत निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बिजली के प्रसारण के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है;

3. विनियमन का क्षेत्र

ये विनियम हरित ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली की ओपन एक्सेस की अनुमित देने के लिए लागू होंगे, जैसा कि इन विनियमों के विनियम 2 में ऊपर परिभाषित किया गया है, जिसमें अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या दोनों शामिल हैं जो भी बिजली के अंतर-राज्य पारेषण के लिए आवश्यक हैं, जिसमें उपयोग के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा आधारित संयंत्र से उत्पन्न ऊर्जा भी शामिल है।

4. हरित ऊर्जा के ओपन एक्सेस की अनुमति के लिए मानदंड

- 4.1. दीर्घकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस की अनुमित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के लिए जेईआरसी में निर्धारित पारेषण योजना मानदंड और वितरण योजना कोड के अनुसार दी जाएगी।
- 4.2. यदि अनुरोध को समायोजित किया जा सकता है, तो निम्नलिखित का उपयोग करके अल्पकालिक/मध्यम अवधि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस की अनुमित दी जाएगी:
 - क. अंतर्निहित डिज़ाइन मार्जिन
 - ख. बिजली प्रवाह में भिन्नता के कारण उपलब्ध मार्जिन
 - ग. भविष्य में भार की वृद्धि को पूरा करने के लिए निर्मित अतिरिक्त पारेषण प्रणाली क्षमता और/या वितरण प्रणाली क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन;

5. हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच का वर्गीकरण:

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को अंतर-राज्य पारेषण और/या वितरण प्रणाली के उपयोग की अवधि के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:

- i. "दीर्घकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस" का अर्थ है सात (7) वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार;
- ii. "मध्यम अवधि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस" का अर्थ है तीन (3) महीने के बराबर या उससे अधिक लेकिन पांच (5) वर्ष से कम की अवधि के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग करने का अधिकार;
- iii. "अल्पकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस" का अर्थ है एक समय पर अधिकतम एक (1) माह की अवधि के लिए ओपन एक्सेस;

बशर्ते कि प्रदान की गई अल्पावधि हरित ओपन एक्सेस की समाप्ति पर, यदि ऐसा उपभोक्ता/ग्राहक आगे की अवधि के लिए अल्पकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होगी और ऐसे आवेदन को नए आवेदन के रूप में माना जाएगा, और प्राथमिकता ऐसे आवेदन की तिथि के आधार पर तय की जाएगी।

6. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए आवेदन प्रक्रिया

- 6.1. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए सभी आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किए जाएंगे और इन विनियमों के अनुसार नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 6.2. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस प्राप्त करने के इच्छुक सभी आवेदकों को उस क्षमता (बिजली की मात्रा) के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) या कोई अन्य द्विपक्षीय समझौता नहीं करने का वचन देना होगा, जिसके लिए हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस की मांग की गई है।

7. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस लागू करने के लिए पात्रता मानदंड

7.1. इन विनियमों के प्रावधानों और प्रणाली की उपलब्धता के अधीन, उपभोक्ता राज्य पारेषण उपयोगिता की अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली या राज्य के भीतर किसी भी पारेषण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली तक ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि इन विनियमों में किसी भी प्रावधान के बावजूद, वितरण लाइसेंसधारी के साथ मौजूदा बिजली खरीद समझौते (पीपीए) वाली कोई भी आरई उत्पादक कंपनी, आरई क्षमता के लिए ओपन एक्सेस की हकदार नहीं होगी, जिसके लिए पीपीए में प्रवेश किया गया है, सिवाय ऐसे पीपीए की शर्तों के अनुसार और ऐसी क्षमता (बिजली की मात्रा) के लिए जिसके लिए ओपन एक्सेस पहले से ही प्रदान की गई है।

बशर्ते कि, ऐसी ओपन एक्सेस ऐसे शुल्कों के भुगतान पर उपलब्ध होगी जो समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

7.2. प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का निर्माण किया है, को अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार ओपन एक्सेस का अधिकार होगा।

बशर्ते कि उपभोक्ता (कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर), जिनके पास एक सौ किलोवाट और उससे अधिक की अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार है, इन विनियमों के तहत आरई की सोर्सिंग के लिए ओपन एक्सेस के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पूरी की जाने वाली मांग में उच्च भिन्नता से बचने के लिए, उपभोक्ता एक दिन में बारह समय खंडों के लिए ओपन एक्सेस के माध्यम से खपत की गई आरई बिजली की मात्रा में बदलाव नहीं करेगा।

8. नोडल एजेंसी

- 8.1. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस से संबंधित सभी आवेदन केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा स्थापित पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को भेजे जाएंगे। बशर्ते कि जब तक केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा प्रक्रियाएं और प्रारूप तैयार नहीं किए जाते, तब तक मामले में एसएलडीसी द्वारा निर्धारित मौजूदा प्रक्रियाओं/प्रारूपों का पालन किया जा सकता है।
- 8.2. राज्य भार प्रेषण केंद्र अल्पकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और राज्य पारेषण उपयोगिता (एसटीयू) दीर्घकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस और मध्यम अवधि के लिए हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस प्रदान करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी होगी।
- 8.3. राज्य नोडल एजेंसी केंद्रीय नोडल एजेंसी के पोर्टल पर जनता के लिए हरित ऊर्जा की ओपन एक्सेस के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एसटीयू और वितरण लाइसेंसधारियों सहित पारेषण लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय करेगी।

9. मौजूदा इकाइयों के लिए नियम

मौजूदा उपभोक्ता/उत्पादक उन समझौतों या नीतियों में निर्दिष्ट अवधि के लिए मौजूदा समझौतों या सरकारी नीति के अनुसार ओपन एक्सेस के तहत आरई का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं, जब तक कि वे अधिनियम के साथ असंगत न हों।

बशर्ते कि मौजूदा उपभोक्ता/उत्पादक अपने संबंधित समझौतों में निर्दिष्ट लागू शुल्क का भुगतान करना जारी रखेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

बशर्ते कि ऐसे उपभोक्ता/उत्पादक के संबंध में आगामी अवधि के लिए आरई ओपन एक्सेस पर इन विनियमों के प्रावधान लागू होंगे।

बशर्ते कि यदि ऐसे मौजूदा उपभोक्ता/उत्पादक द्वारा ओपन एक्सेस के तहत पहले से अनुबंधित क्षमता के अलावा किसी अतिरिक्त आरई क्षमता के लिए ओपन एक्सेस की मांग की जाती है, तो इसे मांगी गई अतिरिक्त क्षमता की सीमा तक ओपन एक्सेस के लिए एक नए आवेदन के रूप में माना जाएगा।

10. आवंटन प्राथमिकता

10.1. वितरण लाइसेंसधारी को अन्य हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की तुलना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी;

- 10.2. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस की समान श्रेणी में सामान्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर प्राथमिकता (प्राथमिकता) मिलेगी:
- 10.3. अतिरिक्त पारेषण/वितरण प्रणाली क्षमता मार्जिन की उपलब्धता के अधीन, हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं में दीर्घकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को वरीयता (प्राथमिकता) दी जाएगी, उसके बाद मध्यम अविध के हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और उसके बाद अल्पकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी:

बशर्ते कि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस की अनुमित देने का निर्णय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।

11. राज्य भार प्रेषण केन्द्र की भूमिका

11.1. राज्य भार प्रेषण **केन्द्र** किसी राज्य में बिजली प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष निकाय होगा।

11.2. राज्य भार प्रेषण केन्द्र -

- क. उस राज्य में काम कर रहे लाइसेंसधारियों या उत्पादन कंपनियों के साथ किए गए अनुबंधों के अनुसार, किसी राज्य के भीतर बिजली के इष्टतम शेड्युलिंग और प्रेषण के लिए जिम्मेदार होगा;
- ख. ग्रिड संचालन की निगरानी करेगा:
- ग. राज्य ग्रिड के माध्यम से प्रेषित बिजली की मात्रा का हिसाब रखेगा;
- घ. अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा; और
- ङ. ग्रिड मानकों और राज्य ग्रिड कोड के अनुसार राज्य ग्रिड के सुरक्षित और आर्थिक संचालन के माध्यम से राज्य के भीतर ग्रिड नियंत्रण और बिजली के प्रेषण के लिए वास्तविक समय संचालन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस प्रदान करने की प्रक्रिया

- 12.1. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस आवेदक को केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा स्थापित केंद्रीय पोर्टल पर केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करना होगा।
- 12.2. आवेदन को आगे के सत्यापन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा संबंधित राज्य नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा। आवेदन पर कार्यवाही के लिए निम्नलिखित समय-सारणी का पालन किया जाएगा:

क्र.सं.	विवरण	समय अवधि	टिप्पणी
	दिनांक जिस पर राज्य नोडल एजेंसी	शून्य तिथि	
II.	के आवेदन को केंद्रीय नोडल एजेंसी		
	द्वारा प्राप्त किया जाता है।		
2	आवेदन प्राप्ति की पावती	शून्य तिथि	पावती तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा
			प्रदान की जाएगी
	यह पुष्टि करने के बाद कि आवेदक	• •	यदि आवेदन अधूरा है, तो राज्य नोडल
	द्वारा प्रसंस्करण शुल्क और बीजी	भीतर	एजेंसी आवेदन को अस्वीकार करते हुए
	सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज		और दोषों का विवरण प्रस्तुत करते हुए
	प्रस्तुत किए गए हैं, राज्य नोडल		लिखित रूप में सूचित करेगी। खामियों
	एजेंसी द्वारा आवेदन की स्वीकृति		को दूर करने के बाद नया आवेदन किया
			जाएगा
4	जेकेपीटीसीएल/संबंधित डिस्कॉम	• •	आवेदन स्वीकार होने पर, इसे
	को आवेदन अग्रेषित करना।	के भीतर।	जेकेपीटीसीएल/संबंधित डिस्कॉम को
			भेज दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित
			किया जा सके कि प्रणाली की
			उपलब्धता, मीटरिंग बुनियादी ढांचा,
			कोई लंबित बकाया नहीं है और जिस
			क्षमता के लिए हरित ऊर्जा ओपन
			एक्सेस की मांग की गई है, उसके लिए
			कोई मौजूदा पीपीए नहीं है।

E	2211 1111111111111111111111111111111111	ाना निश्चिम ने नम न म्म निम्मों ने	यदि प्रणाली सुदृढ़ीकरण की
5	जेकेपीटीसीएल/डिस्कॉम से सहमति	शून्य तिथि से दस कार्य दिवसों के	3 6
		भीतर	आवश्यकता है, तो ओए प्रदान करने की संभावित तिथि उसी समय के
			भीतर एसएनए को सूचित की जाएगी।
			यदि निर्दिष्ट समय के भीतर सहमति
			प्राप्त नहीं होती है, तो एसएनए द्वारा
			इसे सहमति माना जाएगा।
			बशर्ते कि निकासी बिंदु पर प्रणाली
			अध्ययन यह सुनिश्चित करता है कि
			ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले 6
			लाइसेंसधारियों के उपभोक्ता के लिए
			उपलब्धता की आवश्यकता नहीं है, जो
			कि आवेदक द्वारा यह वचन पत्र के
			अधीन होगा कि वह ओपन एक्सेस का
			विकल्प चुनने के बाद लाइसेंसधारी के
			साथ किए गए समझौते में निर्दिष्ट
			अनुबंध मांग से अधिक आपूर्ति नहीं
			करेगा।
6	हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस प्रदान		एसएनए निर्दिष्ट सम्य के भीतर आवेदक
	करना या अन्यथा	के भीतर	को ओए प्रदान करने के बारे में सूचित
			करेगा।
			यदि ओए प्रदान नहीं किया जाता है, तो
			उपरोक्त समय के भीतर लिखित रूप में
			कारण बताते हुए सूचित किया जाएगा
			और संभावित तिथि भी बताई जाएगी
			जिसमे ओए प्रदान किया जा सकता है।
			यदि एसएनए उपरोक्त निर्दिष्ट समय के
			भीतर ओए या अन्यथा प्रदान करने की
			सूचना देने में विफल रहता है, तो इसे
			प्रदान किया गया माना जाएगा, जो
			प्रणाली की उपलब्धता के अधीन है।
7	लंबी अवधि की ओपन एक्सेस के		यदि जेकेपीटीसीएल/डिस्कॉम निर्दिष्ट
	लिए आवेदक द्वारा समझौता प्रस्तुत		समय के भीतर एसएनए को
	करना		हस्ताक्षरित प्रतियां जमा करने में
			विफल रहते हैं, तो डब्ल्यूबीए को
			अनुमोदित माना जाता है (केवल सौर,
			पवन और मिनी-हाइड्रल परियोजनाओं
			के मामले में बैंकिंग की अनुमति है)
8	•	,	यदि जेकेपीटीसीएल/डिस्कॉम निर्दिष्ट
		के भीतर	समय के भीतर एसएनए को
	हस्ताक्षरित प्रतियां प्रस्तुत करना		हस्ताक्षरित प्रतियां जमा करने में
			विफल रहते हैं, तो डब्ल्यूबीए को
			अनुमोदित माना जाता है (केवल सौर,
			पवन और मिनी-हाइड्रल परियोजनाओं
			के मामले में बैंकिंग की अनुमति है)
9	व्हीलिंग के लिए प्रभावी तिथि		आवेदक को प्रभावी तिथि से ऊर्जा
		हस्ताक्षरित समझौते की प्रति प्राप्त	
		होती है, तो आवेदक द्वारा बिजली	
		के व्हीलिंग के संचालन की शुरुआत	
		के लिए प्रभावी तिथि एसएनए को	
		समझौते की हस्ताक्षरित प्रति जमा	

करने की तिथि के बाद की तिथि
होगी। बशर्ते कि व्हीलिंग ऑपरेशन
शुरू करने की उपरोक्त प्रभावी
तिथि सौर, पवन और मिनी
हाइडल प्लांट की बैंकिंग के मामले
में भी लागू होगी।

- 12.3. राज्य नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि (i) लंबी अविध/मध्यम अविध के लिए पचास हजार रुपये (ii) अल्पकालिक हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए एक हजार रुपये का गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा किया जाएगा। नोडल एजेंसी और नोडल एजेंसी केंद्रीय एजेंसी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तुरंत संचार के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इसकी सूचना देगी। आवेदक को एक कार्य दिवस के भीतर प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 12.4. उन बिजली संयंत्रों या उसकी/उनकी उत्पादन इकाइयों के लिए, जो अभी तक चालू नहीं हुए हैं, अल्पकालिक जीईओए के लिए आवेदन ऐसे बिजली संयंत्रों या इसके/उनके उत्पादन इकाइयों के चालू होने की तिथि से दो महीने पहले नहीं किया जाना चाहिए, ताकि कॉरीडोर के अनावश्यक अवरोध से बचा जा सके।
- 12.5. लंबी अवधि/मध्यम अवधि के जीईओए के लिए आवेदन के साथ दस हजार रुपये प्रति मेगावाट की बैंक गारंटी (बीजी) संलग्न की जाएगी, जिसे बिजली के व्हीलिंग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर होने तक वैध और विद्यमान रखा जाएगा और यदि ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले आवेदक द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है तो नोडल एजेंसी द्वारा ऐसी बीजी का नकदीकरण किया जाएगा। बिजली की व्हीलिंग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर, राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को बीजी तुरंत वापस कर दी जाएगी। बीजी एसएनए द्वारा सुचना की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- 12.6. यदि अंतःराज्यीय पारेषण और वितरण प्रणाली का उपयोग करके इंजेक्शन बिंदु के स्थान या अदला-बदली की जाने वाली बिजली की मात्रा (दस प्रतिशत से अधिक) के संबंध में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो पूरी क्षमता के लिए प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नया आवेदन किया जाएग और ऐसे आवेदन के साथ प्रासंगिक दस्तावेज, आवेदन शुल्क और दीर्घकालिक ओपन एक्सेस के मामले में अतिरिक्त क्षमता के लिए आवश्यक बैंक गारंटी होनी चाहिए और यदि मांगी गई अतिरिक्त क्षमता को मौजूदा नेटवर्क में समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो आवेदक अपने मूल आवंटन की सीमा तक ओपन एक्सेस का हकदार है।
- 12.7. जहां किसी आवेदन को किसी कमी या दोष के कारण खारिज कर दिया जाता है, प्रसंस्करण शुल्क और बैंक गारंटी, यदि जमा की गई है, तो आवेदक को वापस कर दी जाएगी और ऐसे मामलों में, कमी या दोष को दूर करने के बाद आवेदक द्वारा केंद्रीय नोडल पोर्टल पर एक नया आवेदन किया जाएगा।
- 12.8. राज्य नोडल एजेंसी संचार के किसी मान्यता प्राप्त माध्यम, ओपन एक्सेस की अनुमति या अन्यथा के बारे में आवेदक को सुचित करेगी।
- 12.9. इसके अलावा, जीईओए के अनुदान के लिए आवेदन के लंबित रहने के दौरान, आवेदक लाइसेंसधारी के नेटवर्क में कोई ऊर्जा इंजेक्ट नहीं करेगा और लाइसेंसधारी ऐसी अवधि के दौरान इंजेक्ट की गई ऊर्जा के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12.10. ओपन एक्सेस प्रदान करने की तिथि से लेकर व्हीलिंग के लिए अनुबंध प्रस्तुत करने की तिथि तक लाइसेंसधारी के नेटवर्क में आपूर्ति की गई कोई भी ऊर्जा, आवेदक औसत पूल्ड पावर खरीद लागत (एपीपीसी) दर पर या प्रासंगिक आरई स्रोत के लिए प्रासंगिक वर्ष के लिए आयोग द्वारा निर्धारित जेनेरिक टैरिफ का 75 %, जो भी कम हो, ऊर्जा शुल्क के भुगतान का हकदार होगा।
- 12.11. ओपन एक्सेस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति ऊपर निर्दिष्ट समय के भीतर बिजली की व्हीलिंग के लिए समझौते को निष्पादित करेगा, ऐसा न करने पर प्रदान की गई ओपन एक्सेस या संभावित ओपन एक्सेस रद्द कर दी जाएगी।
- 12.12. पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी ओपन एक्सेस की व्यवस्था करते समय उचित समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

- 12.13. नए उत्पादन संयंत्र या उत्पादन इकाई जो लंबी अवधि के लिए ओपन एक्सेस चाहते हैं और व्हीलिंग के लिए एक समझौता कर रहे हैं, उन्हें प्रभावी तिथि से बारह महीने के भीतर ऐसे संयंत्र या इकाई को चालू करना होगा, ऐसा न करने पर दी गई ओपन एक्सेस को रद्द माना जाएगा, ताकि कॉरीडोर के अनावश्यक अवरोध से बचा जा सके।
- 12.14. एक ओपन एक्सेस वाला उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारियों और अन्य के साथ, जो भी लागू हो, वाणिज्यिक समझौते में प्रवेश करेगा, और ऐसे समझौतों में भुगतान सुरक्षा तंत्र से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे।
- 12.15. राज्य नोडल एजेंसी अपनी वेबसाइट पर केंद्रीय नोडल एजेंसी से प्राप्त प्रत्येक आवेदन का विवरण और ऐसे आवेदन की स्थिति को निरंतर आधार पर होस्ट करेगी, जिसे जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

बशर्ते कि राज्य नोडल एजेंसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप प्रारूप तैयार करेगी।

13. डे अहेड हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस लेनदेन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया।

- 13.1. आवेदक को मानक आवेदन प्रारूप में डे अहेड हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस लेनदेन के लिए केंद्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
- 13.2. राज्य नोडल एजेंसी को केंद्रीय एजेंसी से प्राप्त आवेदनों के लिए, एक दिन के हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस लेनदेन के शेड्यूल के ठीक पहले दिन के 13.00 बजे से पहले, राज्य नोडल एजेंसी प्रणाली में संकुलन की जांच करेगी और आवेदक को ई-मेल या फैक्स के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के बाद कि क्षमता के लिए कोई मौजूदा पीपीए नहीं है, अनुमोदन या अन्यथा की अगले दिन के लेनदेन के शेड्यूल के दिन से ठीक पहले दिन 15:00 बजे से पहले सूचित करेगी, जिससे पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ओपन एक्सेस के तहत मांग की गई क्षमता के लिए पीपीए मौजूद नहीं है।
- 13.3. प्रत्येक लेनदेन के लिए एक हजार रुपये की गैर-वापसी-योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा नकद या डिमांड ड्राफ्ट या राज्य नोडल एजेंसी के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान के प्रमाण के रूप में किया जाएगा।

बशर्ते कि ओपन एक्सेस का वास्तविक परिचालन इन विनियमों और समय-समय पर आयोग द्वारा पारित आदेशों में आवेदक द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के अधीन होगा, जो अगले दिन के लेन-देन के लिए शेड्यूलिंग के दिन से ठीक पहले दिन के 17:00 बजे से पहले होगा। जहां ओपन एक्सेस से इनकार किया जाता है, राज्य नोडल एजेंसी आवेदक को इसके कारण बताएगी।

14. ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा ओपन एक्सेस सेवा का उपयोग न किया जाना

- 14.1. अल्पाविध ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा आवंटित क्षमता का पूर्ण या पर्याप्त भाग चार घंटे से अधिक समय तक उपयोग करने में असमर्थता की स्थिति में, ऐसे अल्पकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता को अपनी असमर्थता के बारे में इसके कारणों सिहत संबंधित एसएलडीसी को सूचित करना होगा और वह उसे आवंटित क्षमता का उपयोग छोड़ सकता है। हालाँकि, ऐसे अल्पाविध उपभोक्ताओं को मूल आरक्षित क्षमता और उस अविध के आधार पर पूर्ण पारेषण और/या व्हीलिंग शुल्क वहन करना होगा जिसके लिए ऐसी क्षमता आरक्षित की गई थी।
- 14.2. एक मध्यम अवधि/दीर्घकालिक उपभोक्ता, नोडल एजेंसी की पूर्व मंजूरी के बिना ओपन एक्सेस समझौते में निर्दिष्ट अपने अधिकारों और दायित्वों का त्याग या उनको स्थानांतरित नहीं करेगा। लंबी अवधि के उपभोक्ता द्वारा ऐसे अधिकारों और दायित्वों का त्याग या हस्तांतरण, ओपन एक्सेस समझौते की शर्तों के अनुसार मुआवजे के भुगतान के अधीन होगा।
- 14.3. एसएलडीसी अल्पावधि ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आवंटित क्षमता को रद्द कर सकता है या कम उपयोग की सीमा तक कम कर सकता है, जब ऐसा अल्पकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता एक अवधि के दौरान एक महीने में 2 बार से अधिक आवंटित क्षमता का कम उपयोग करता है या 2 घंटे से कम उपयोग करने या आवंटित क्षमता का उपयोग करने में असमर्थता के बारे में वितरण लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है। उचित सूचना देने के बाद इस तरह के निरस्तीकरण किया जाएगा।
- 14.4. उपरोक्त खंड (i) के तहत अल्पावधि ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा समर्पण या उपरोक्त खंड (iii) के तहत एसएलडीसी द्वारा क्षमता में कमी या रद्द करने के परिणामस्वरूप उपलब्ध अधिशेष क्षमता इंजेक्शन और निकासी

के बिंदु के आधार पर लंबित आवेदनों के क्रम में किसी अन्य अल्पावधि ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आवंटित की जा सकती है।

15. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए शुल्क:

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए शुल्क इस प्रकार होंगे:

- 1. पारेषण शुल्क
- 2. व्हीलिंग शुल्क
- 3. क्रॉस सब्सिडी अधिभार
- 4. अतिरिक्त अधिभार
- 5. बैंकिंग शुल्क
- 6. स्टैंडबाय श्ल्क, जहां भी लागू हो
- 7. आयोग के प्रासंगिक विनियमों, आदेशों के अनुसार अन्य शुल्क और प्रभार जैसे एसएलडीसी शुल्क और शेड्यूलिंग, भिन्नता निपटान (डीएसएम) शुल्क।

16. पारेषण शुल्क

- 16.1. अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए: जैसा कि केंद्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है।
- 16.2. अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए: समय-समय पर एमवाईटी पारेषण टैरिफ आदेशों में आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर शुल्क लगाया जाएगा:

बशर्ते कि, जहां पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा ओपन एक्सेस के लिए एक समर्पित पारेषण प्रणाली का निर्माण किया गया है और ओपन एक्सेस उपभोक्ता के विशेष उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे समर्पित प्रणाली के लिए पारेषण शुल्क पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा तय किया जाएगा और उसे आयोग से अनुमोदित कराया जाएगा। शुल्क पूरी तरह से ऐसे ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा जब तक कि इसकी अधिशेष क्षमता, यदि कोई हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा या अन्य उद्देश्यों के लिए आवंटित और उपयोग नहीं की जाती है:

बशर्ते कि अन्य ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं को ऐसी अधिशेष क्षमता के आवंटन के बाद, शुल्क ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं के बीच कुल क्षमता के आवंटन के अनुपात में आनुपातिक रूप से वहन किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसी अधिशेष क्षमता का उपयोग करने के बाद, पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अधिशेष क्षमता का उपयोग करने की सीमा तक शुल्क कम कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि यदि उत्पादक द्वारा निर्मित समर्पित लाइनों (जैसा कि अधिनियम की धारा 2(16) के तहत परिभाषित है) का उपयोग हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए किया जा रहा है, तो पारेषण शुल्क लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि पारेषण शुल्क के अलावा, अंतरराज्यीय पारेषण हानि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस चाहने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जैसा कि राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा समय-समय पर लागू विनियमों के अनुसार निर्धारित और अधिसूचित किया जा सकता है।

17. व्हीलिंग चार्ज

- 17.1. वितरण नेटवर्क प्रणाली के उपयोग के लिए हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को देय व्हीलिंग शुल्क समय-समय पर टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा:
- 17.2. आयोग अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (3) के तहत पारित अपने आदेश में वितरण लाइसेंसधारी के वितरण तार व्यवसाय के व्हीलिंग शुल्क को निर्दिष्ट करेगा:

बशर्ते कि, जहां वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ओपन एक्सेस के लिए एक समर्पित वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया है और एक ओपन एक्सेस उपभोक्ता के विशेष उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसी समर्पित प्रणाली के लिए व्हीलिंग शुल्क वितरण लाइसेंसधारी द्वारा तैयार किया जाएगा और उसे आयोग द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा। इस तरह के शुल्क पूरी तरह से ऐसे ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे जब तक कि इसकी अधिशेष क्षमता, यदि कोई हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा या अन्य उद्देश्यों के लिए आवंटित और उपयोग नहीं की जाती है:

बशर्ते कि अन्य ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं को ऐसी अधिशेष क्षमता के आवंटन के बाद, शुल्क ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ताओं के बीच कुल क्षमता के आवंटन के अनुपात में आनुपातिक रूप से वहन किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसी अधिशेष क्षमता का उपयोग करने के बाद, पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अधिशेष क्षमता का उपयोग करने की सीमा तक शुल्क कम कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि यदि उत्पादक द्वारा निर्मित समर्पित लाइनों (जैसा कि अधिनियम की धारा 2(16) के तहत परिभाषित है) का उपयोग हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए किया जा रहा है, तो पारेषण शुल्क लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि पारेषण शुल्क के अलावा,अंतरराज्यीय पारेषण हानि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस चाहने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जैसा कि लागू विनियमों के अनुसार समय-समय पर जारी आयोग के खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जा सकता है।

18. क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लगाया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अपने खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाता है।

बशर्ते कि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता को, लागू पारेषण और/या व्हीलिंग शुल्क के अलावा, ओपन एक्सेस के माध्यम से महीने के दौरान ली गई वास्तविक ऊर्जा पर क्रॉस सब्सिडी अधिभार का भुगतान करना होगा। अधिभार की राशि वितरण लाइसेंसधारी को भुगतान की जाएगी जिसके आपूर्ति क्षेत्र में ऐसा उपभोक्ता स्थित है।

बशर्ते कि ऐसे क्रॉस-सब्सिडी अधिभार उस स्थिति में नहीं लगाए जाएंगे, जब उस व्यक्ति को ओपन एक्सेस प्रदान की जाती है, जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

बशर्ते कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति किए जाने पर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लागू नहीं होगा;

बशर्ते कि यदि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से ली गई हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस-सब्सिडी अधिभार लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि हरित ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा) स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र से हरित ऊर्जा खरीदने वाले हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता के लिए क्रॉस-सब्सिडी अधिभार, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र के संचालन की तिथि से बारह वर्षों के दौरान उस वर्ष के लिए निर्धारित अधिभार के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा जिसमें ओपन एक्सेस प्रदान की जाती है;

बशर्ते कि क्रॉस-सब्सिडी अधिभार आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) के 20% से अधिक न हो, जैसा कि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ताओं की श्रेणी पर लागू होता है।

19. अतिरिक्त सरचार्ज

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर क्रॉस सब्सिडी अधिभार लगाया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अपने खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाता है।

बशर्ते कि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता को, लागू पारेषण और/या व्हीलिंग शुल्क के अलावा, ओपन एक्सेस के माध्यम से महीने के दौरान ली गई वास्तविक ऊर्जा पर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त अधिभार की राशि का भुगतान उस वितरण लाइसेंसधारी को किया जाएगा जिसके आपूर्ति क्षेत्र में ऐसा उपभोक्ता स्थित है।

बशर्ते कि अतिरिक्त अधिभार हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं होगा, यदि ऐसे उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा रहा है: बशर्ते कि ऐसे अतिरिक्त अधिभार उस स्थिति में नहीं लगाया जाएगा जब उस व्यक्ति को ओपन एक्सेस प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक बिजली ले जाने के लिए कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

बशर्ते कि गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति किए जाने पर अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा;

बशर्ते कि यदि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से ली गई हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि ऑफ-शोर पवन परियोजनाओं से हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता को हरित ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है जो दिसंबर-2025 तक चालू किए जाते हैं, तो अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

20. स्टैंडबाय शुल्क

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता को समय-समय पर अपने खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित स्टैंडबाय शुल्क के भुगतान पर स्टैंडबाय सुविधा प्रदान की जाएगी।

बशर्ते कि यदि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता उत्पादक, पारेषण प्रणाली और इसी तरह के आउटेज के कारण उन उत्पादक स्रोतों से बिजली खरीदने/शेड्यूल करने में असमर्थ है, जिनके साथ उनका बिजली खरीदने का समझौता है, तो हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता को वितरण लाइसेंसधारी के द्वारा इसकी आपूर्ति के क्षेत्र में स्टैंडबायी व्यवस्था प्रदान की जाएगी;

बशर्ते कि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए स्टैंडबाय शुल्क वार्षिक आधार पर आयोग द्वारा पारित प्रासंगिक टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट प्रचलित दर अनुसूची में उपभोक्ता श्रेणी पर लागू टैरिफ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि स्टैंडबाय शुल्क वितरण लाइसेंसधारी द्वारा हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति की गई स्टैंडबाय ऊर्जा पर लागू टैरिफ के अतिरिक्त होगा।

बशर्ते कि अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होंगे, यदि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता ने "डी - 1" दिन, को डे अहेड मार्केट (डीएएम) में गेट बंद होने से कम से कम एक दिन पहले अग्रिम सूचना दी है, जहां 'डी' 'वितरण लाइसेंसधारी को अतिरिक्त व्यवस्था के लिए बिजली की डिलीवरी का दिन है।

21. बैंकिंग सुविधा एवं शुल्क

- 21.1. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। हरित ऊर्जा उत्पादन स्टेशन से हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता की अधिशेष ऊर्जा, उसके परिसर में खपत के बाद, वितरण लाइसेंसधारी के पास जमा की जा सकती है।
- 21.2. बैंक की गई ऊर्जा की निकासी शेड्यूलिंग के अधीन होगी।
- 21.3. 'हरित ऊर्जा' उत्पादन स्टेशन से ग्रिड तक ऊर्जा का इंजेक्शन भी लागू पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग, भिन्नता निपटान तंत्र और पवन और सौर उत्पादन स्टेशनों के संबंधित मामलों के विनियमों और आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा आधारित (हरित ऊर्जा) परियोजनाओं पर प्रासंगिक आदेशों में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन शेड्युलिंग के अधीन होगा।
- 21.4. बैंकिंग शुल्क को बैंक की गई ऊर्जा के 8% की दर से समायोजित किया जाएगा।
- 21.5. हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा बैंक ऊर्जा की अनुमत मात्रा हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा वितरण लाइसेंसधारी से बिजली की कुल मासिक खपत का कम से कम 30% होगी।
- 21.6. वितरण लाइसेंसधारी को बैंकिंग शुल्क के भुगतान पर मासिक आधार पर बैंकिंग की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि बैंक की गई ऊर्जा के लिए क्रेडिट को बाद के बैंकिंग चक्रों में आगे ले जाने की अनुमित नहीं दी जाएगी और आयोग द्वारा समय समय पर अपने खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश में निर्धारित ऑफ-पीक और पीक अविध में इंजेक्ट की गई ऊर्जा के अनुसार उसी बैंकिंग चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगा।

बशर्ते कि, पीक अवधि के दौरान बैंक की गई ऊर्जा को पीक अवधि के साथ-साथ ऑफ-पीक अवधि के दौरान 15 मिनट के समय खंड में प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी और ऑफ-पीक अवधि के दौरान बैंक की गई ऊर्जा को बैंकिंग शुल्क का भुगतान करके 15 मिनट के समय खंड में केवल ऑफ-पीक के दौरान प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। ।

बशर्ते कि लाइसेंसधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उपर्युक्त खंड 21.4 में उल्लिखित अनुसार वसूल किए गए बैंकिंग शुल्कों का मिलान लाइसेंसधारी द्वारा बैंक की गई ऊर्जा और अतिरिक्त खर्चों, यदि कोई हो, को वापस करने के लिए की गई बिजली खरीद की वास्तविक लागत के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष के खुदरा आपूर्ति टैरिफ की तसदीक याचिका के साथ अलग याचिका के साथ करेगा।

बशर्ते कि अप्रयुक्त अधिशेष बैंक ऊर्जा को प्रत्येक माह के अंत में व्यपगत माना जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन व्यपगत बैंक ऊर्जा की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) प्राप्त करने का हकदार होगा।

21.7. यदि उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) ग्रिड से जुड़ा है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बाहर बिजली बेच रहा है, तो बैंकिंग शुल्क लागू नहीं होंगे।

22. शेड्यूलिंग शुल्क और विचलन शुल्क

- 22.1. उपरोक्त शुल्कों के अलावा, हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता को समय-समय पर अधिसूचित आयोग के प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शुल्कों का भी भुगतान करना होगा।
 - क) लागू एसएलडीसी/आरएलडीसी शुल्क और शेड्यूलिंग शुल्क सहित शुल्क
 - ख) आरई भिन्नता निपटान शुल्क (आरई-डीएसएम)

23. भुगतान सुरक्षा तंत्र

हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता, जो दीर्घावधि, मध्यम अवधि, या अल्पावधि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस को प्राप्त करना चाहता है, को इन विनियमों में निर्दिष्ट विभिन्न शुल्क एकत्र करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय रिवॉलिंवग लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) या बैंक गारंटी (बीजी) खोलना होगा और प्रदान करना होगा। इस एलसी/बीजी में दो महीने की अवधि के लिए इन शुल्कों की अनुमानित राशि शामिल होनी चाहिए। यह वित्तीय साधन हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस अवधि के दौरान राज्य नोडल एजेंसी और लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भुगतान सुरक्षा के रूप में इन वैध वित्तीय उपकरणों को प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप दी गई हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस रद्द कर दी जाएगी।

24. कटौती प्राथमिकता:

यदि पारेषण/वितरण प्रणाली की बाधाओं के कारण या अन्यथा, सेवा में कटौती करना आवश्यक हो, तो निम्नलिखित प्राथमिकता का पालन किया जाएगा:

- क) अल्पकालिक जीईओए उपभोक्ताओं से पहले अल्पकालिक ओपन-एक्सेस उपभोक्ताओं (जीईओए उपभोक्ताओं के अलावा) को पहले कम किया जाएगा।
- ख) इसके बाद, मध्यम अवधि के ओए उपभोक्ताओं (जीईओए उपभोक्ताओं के अलावा) और उसके बाद मध्यम अवधि के जीईओए उपभोक्ताओं को कम किया जाएगा।
- ग) अगले दीर्घकालिक ओए उपभोक्ताओं (जीईओए उपभोक्ताओं के अलावा) और उसके बाद दीर्घकालिक जीईओए उपभोक्ताओं में कटौती की जाएगी।

बशर्ते कि एक श्रेणी के भीतर, जीईओए उपभोक्ताओं के पास समान कटौती प्राथमिकता होगी और आनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी।

बशर्ते कि अंतिम उपाय के रूप में वितरण लाइसेंसधारियों की संख्या में कटौती की जाएगी।

25. विवाद समाधान:

जीईओए से संबंधित सभी विवाद और शिकायतें एसएलडीसी को की जाएंगी, जो जांच कर सकती है और शिकायत को हल करने का प्रयास कर सकती है।

ओपन एक्सेस के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। यदि एसएलडीसी शिकायत का निवारण करने में असमर्थ है, तो राज्य नोडल एजेंसी के आदेश के विरुद्ध आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की जाएगी।

आयोग तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करेगा और आयोग के आदेश बाध्यकारी होंगे।

26. विशेष ऊर्जा मीटर

- 1) जीईओए उत्पादक/उपभोक्ताओं द्वारा टाइम ऑफ द डे (टीओडी) सुविधा के साथ ट्राई-वेक्टर मीटर लगाए जाएंगे।
- 2) मीटर आवश्यक मापदंडों के समय-विभेदित माप (15 मिनट) में सक्षम होंगे। ये मीटर हमेशा अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे और राज्य नोडल एजेंसी द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- 3) मीटर में सीटी, पीटी और संबंधित सहायक उपकरण शामिल होंगे और वर्ष में कम से कम एक बार इनका परीक्षण और अंशांकन किया जाएगा।
- 4) मीटरों को उस वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सील किया जाएगा जिसके क्षेत्र में उत्पादक/उपभोक्ता स्थित है।
- 5) यदि मीटर पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ओपन-एक्सेस उपभोक्ता इसके किराए का भुगतान करेगा और मीटर सुरक्षा जमा भी प्रदान करेगा।
- 6) मीटर वास्तविक समय के आधार पर एसएलडीसी को अपनी रीडिंग बताने में सक्षम होगा।
- 7) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित मीटरिंग कोड जीईओए उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा।

27. ऊर्जा की क्षति

पारेषण और वितरण प्रणाली की ऊर्जा हानियाँ जीईओए उपभोक्ताओं पर लागू होंगी जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है।

28. ग्रिड कोड/वितरण कोड का अनुपालन

जीईओए उपभोक्ताओं को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (राज्य ग्रिड कोड) विनियम 2023 के लिए जेईआरसी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (वितरण कोड) विनियम, 2023, अन्य सभी संहिताओं और मानकों, डीएसएम विनियमों के लिए जेईआरसी का पालन करना होगा।

29. शुल्कों का संग्रहण एवं वितरण

जीईओए उपभोक्ताओं के संबंध में शुल्क राज्य नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट भुगतान के नियमों और शर्तों के अनुसार सीधे राज्य नोडल एजेंसी को देय होगा। एसएनए प्राप्त राशि को उपयुक्त लाइसेंसधारियों को वितरित करेगा (पारेषण लाइसेंसधारी को पारेषण शुल्क और उचित वितरण लाइसेंसधारी को वितरण नेटवर्क शुल्क)।

अन्य जीईओए शुल्क, यदि एक से अधिक लाइसेंसधारी एक ही क्षेत्र में आपूर्ति कर रहे हैं, तो उन लाइसेंसधारियों को, जिनसे उपभोक्ता आपूर्ति का लाभ ले रहा था, एकत्रित राशि का भुगतान किया जाएगा।

30. सूचना प्रणाली:

- 1) एसएलओसी निम्नलिखित जानकारी को "ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस इंफॉर्मेशन" नामक एक अलग वेब पेज पर पोस्ट करेगा और निम्न जानकारी के साथ एक मासिक और वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेगा;
 - क) दीर्घकालिक उपभोक्ताओं/मध्यम अवधि/अल्पकालिक उपभोक्ताओं पर एक स्थिति रिपोर्ट;
 - ख) भीड़भाड़ की स्थिति में बोली लगाने के लिए न्यूनतम दर
 - ग) ईएचवी और एचवी लाइनों पर प्रवाहित पीक भार
 - घ) मासिक आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली में औसत हानि के बारे में जानकारी।
- 2) स्थिति में प्रत्येक परिवर्तन पर जानकारी अद्यतन की जाएगी।
- 3) सभी पिछली रिपोर्टैं: वेब-अभिलेखागार में उपलब्ध होंगी।

4) एसएलडीसी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक महीने के भीतर उपरोक्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेगा।

31. रिपोर्ट:

वितरण/प्रसारण लाइसेंसधारी आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या आयोग द्वारा अक्सर अनुरोध किए जाने पर निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करेगा:

क्र.सं.	एक्सेस/व्हीलिंग उपभोक्ता का नाम और पता	निकासी का स्थान	अनुमत क्षमता (मेगावाट)	•	एमयू में ऊर्जा व वास्तविक वार्षि उपयोग	

32. संचार सुविधा

जेएकेईडीए उपभोक्ताओं के पास राज्य नोडल एजेंसी से डेटा/आदेश/सूचना के निर्बाध संचार की सुविधा के लिए आवश्यक संचार प्रणालियाँ होनी चाहिए।

33. आदेश और प्रक्रिया निर्देश जारी करना

विद्युत अधिनियम, 2003 और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग, समय-समय पर, विनियमों के कार्यान्वयन और पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।

34. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जीईओए उपभोक्ताओं, उत्पादकों और लाइसेंसधारियों को उचित कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है, जो विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होनी चाहिए, जो आयोग को कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होनी चाहिए। जीईओए उपभोक्ता/लाइसेंसधारक आयोग को आवेदन कर सकते हैं और इन विनियमों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त आदेश मांग सकते हैं।

35. संशोधन करने की शक्ति:

आयोग समय-समय पर आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़ सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित, संशोधित कर सकता है।

36. व्याख्या:

इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी. के. धर, (जेकेएएस) सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./777/2023-24]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (FOR THE UTOF J&K AND THE UTOF LADAKH) NOTIFICATION

Jammu, the 12th February, 2024

No. JERC-JKL/Reg/2024/02.—In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Sections 39, 40, 42, 61, and 86 thereof and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations.

CHAPTER 1: PRELIMINARY

1. Short Title, Commencement and Extent

- 1.1. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Green Energy Open Access), Regulations, 2024.
- 1.2. These Regulations shall come in to force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 1.3. These Regulations extend to the whole of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "Banking" means the surplus green energy injected in the grid and credited with the distribution licensee by the Green Energy Open Access consumers and that shall be drawn along with charges to compensate additional costs; if any;
- (c) "Captive Generating Plant" means a power plant as defined under Clause 3 of the Electricity Rules, 2005 as amended from time to time and such captive plant may have co-located or distant located consumption entity;
- (d) 'Central Commission' means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
- (e) "Central Nodal Agency" means a Central Nodal Agency as notified by the Central Government to set up and operate a single window green energy open access system for renewable energy.
- (f) "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh constituted under the Act;
- (g) "Day Ahead Market (DAM)" means a market where Day Ahead Contracts are transacted on the Power Exchange(s);
- (h) "Entity" means any consumer who has contracted demand or sanctioned load of Hundred kW or more either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred kW or more located in the same electricity division of a distribution licensee, except for captive consumers. However, in case of captive consumers, there shall not be any load limitation.
- (i) "Existing Open Access Consumer/Customer" means a person already availing open access for sourcing/supplying renewable (green) energy from/to the transmission system and/or distribution system of the licensees in the State under an existing agreement or Commission's Regulations/orders on the date of coming into force of this Regulations;
- (j) **Fossil Fuel**" means fuels such as coal, lignite, gas, liquid fuel or combination of these as its primary source of energy, which are used in Thermal Generating Station for generating electricity;
- (k) "Green Energy" means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro, pumped Storages Hydro generation, energy storage system and storage (if the storage uses only renewable energy), Municipal Solid Waste-to-Energy based generation, biomass and bagasse-based co-generation plants or any other technology as may be notified by Govt. of India from time to time and shall also include any mechanism that utilizes green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia;
- (1) "Green Energy Open Access Consumer" means any person who has contract demand or sanctioned load of 100 kW or more, either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred (100) kW or more located in same electricity division of a distribution licensee, shall be eligible to take Green Energy through Open Access (captive consumers shall not have any load limit) or such other limit as may be specified by Commission from time to time, who are supplied with electricity from green energy sources for their own use by a licensee or the Government or from its own Captive Generation Plant or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public including captive under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving green energy with the works of a licensee, the Government or such person, as the case may be. There shall be no limit of supply of power for the captive consumers taking power under Green Energy Open Access:"

- (m) "Obligated Entity" means the entities mandated under Clause (e) of sub-section (1) of Section 86 of the Act to fulfil the Renewable Purchase Obligation, which includes distribution licensee, captive consumer / user and open access consumer;
- (n) "Standby charges" means the charges applicable to green energy open access consumers against the standby arrangement provided by the distribution licensee, in case such green energy open access consumers are unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission systems and the like;
- (o) "Wheeling" means operation whereby the distribution system and associated facilities of transmission licensee or distribution licensee as the case may be, are used by another person for the conveyance of electricity on payment of charges determined under Section 62 of the Act;

3. Scope of Regulation

These Regulations shall be applicable for allowing Open Access to electricity generated from green energy sources as defined hereinabove in Regulation 2 of these Regulations, including the energy from non-fossil fuel based Municipal Solid Waste-to-Energy plant for use of Intra – StateTransmission System or distribution system or both, which are incidental to Intra – StateTransmission of electricity.

4. Criteria for Allowing Green Energy Open Access

- 4.1 The long-term Green Energy Open Access shall be allowed in accordance with the transmission planning criteria and distribution planning code stipulated in the JERC for the UT of J&K and the UT of Ladakh (State Grid Code) Regulations, 2023.
- 4.2 The Short-Term/Medium Term Green Energy Open Access shall be allowed, if the request can be accommodated, by utilizing:
 - a. Inherent design margins
 - b. Margins available due to variation in power flows and
 - c. Margins available due to in-built spare transmission system capacity and/or distribution system capacity created to cater to future load growth;

5. Categorization of Green Energy Open Access:

The Green Energy Open Access consumers shall be classified into the following categories based on the duration of use of the intra- state transmission and/or distribution system:

- i. "Long-term Green Energy Open Access" means the right to use the intra-State transmission system and/or distribution system for a period exceeding seven (7) years;
- ii. "Medium-term Green Energy Open Access" means the right to use the intra-State transmission system and/or distribution system or a period equal to or exceeding three (3) Months but not exceeding five (5) years;
- iii. "Short-term Green Energy Open Access" means open access for a period not exceeding 0ne (1) month at a time;

Provided that on expiry of granted short term Green Open Access, if such consumer/customer desires to avail the short-term Green Energy Open Access consumer for further period it shall require to file application for such period and such application shall be considered as fresh application and priority shall be fixed on basis of date of such application.

6. Application procedure for Green Energy Open Access

- 6.1 All applications for Green Energy Open Access shall be made in the prescribed Form and submitted to the Nodal agency in accordance with these Regulations.
- 6.2 All applicants seeking Green Energy Open Access shall submit an undertaking of not having entered into a Power Purchase Agreement (PPA) or any other bilateral agreement with more than one person for the capacity (quantum of power) for which Green Energy Open Access is sought.

7. Eligibility Criteria for applying Green Energy Open Access

7.1 Subject to the provisions of these Regulations and system availability, consumers shall be eligible for open access to the intra-state transmission system of the State Transmission utility or any transmission licensee/s and distribution system/s of the distribution Licensee/s within the State.

Provided that notwithstanding anything contained in these Regulations, any RE generating company having subsisting Power Purchase Agreement (PPA) with the Distribution Licensee, shall not be entitled to Open

Access for the RE capacity, for which PPA is entered into, except in accordance with the terms of such PPA and also for such capacity (quantum of power) for which Open Access is already granted.

Provided further that, such open access shall be available on payment of such charges as may be determined by the Commission from time to time.

7.2 Every person, who has constructed a captive generating plant shall have the right to open access as per the provisions of Section 9 of the Act.

Provided that consumers (except captive consumers), who have contracted demand or sanctioned load of one hundred kW and above shall be eligible for Open Access for sourcing RE under these Regulations.

Provided further that the consumer shall not change the quantum of RE power consumed through open access for twelve-time blocks in a day, in order to avoid high variation in demand to be met by the distribution licensee.

8. Nodal Agency

- 8.1 All the applications related to Green Energy Open Access shall be submitted to the portal set up by the Central Nodal Agency. The applications shall be routed to the State Nodal Agency (SNA) by the Central Nodal Agency. Provided that, till such time the procedures and formats are devised by Central Nodal Agency, the existing procedures/formats laid down by the SLDC may be followed in the matter.
- 8.2 State Load Despatch Centre shall operate as the State Nodal Agency for the grant of Short-Term Green Energy Open Access and State Transmission Utility (STU) shall be State Nodal Agency for the grant of Long-Term Green Energy Open Access and Medium-Term Green Energy Open Access.
- 8.3 The State Nodal Agency shall coordinate with transmission licensees including STU and the Distribution Licensees to make available all relevant information regarding green energy open access to the public on the portal of the Central Nodal Agency.

9. Treatment for existing entities

The existing consumer(s)/generators may continue to avail the RE under open access as per the existing agreements or government policy for the period specified in those agreements or policies, to the extent they are not inconsistent with the Act.

Provided that the existing consumers/generators shall continue to pay the applicable charges as specified in their respective agreements, as may be determined by the Commission from time to time.

Provided further that RE open access for the subsequent period in respect of such consumer/generator shall be governed by provisions of these Regulations.

Provided also that if Open Access for any additional RE capacity is sought by such existing consumer(s)/generators in addition to the capacity already contracted under open access, shall be treated as a new application for open access to the extent of additional capacity sought.

10. Allotment Priority

- 10.1 Distribution licensee shall have the highest priority over other Green Energy Open Access consumers;
- 10.2 Green Energy Open Access consumers shall have a preference (priority) over normal Open Access consumers in the same category of open access;
- 10.3 Amongst the Green Energy Open Access consumers, long-term Green Energy Open Access consumers shall have a preference (priority) followed by Medium term Green Energy Open Access consumers and subsequently short-term Green Energy Open Access consumers, at any given time, subject to availability of spare transmission/distribution system capacity margins;

Provided that the decision for allowing the Green Energy Open Access shall be on the basis of first come first serve.

11. Role of State Load Despatch Centre

- 11.1 The State Load Despatch Centre shall be the apex body to ensure integrated operation of the power system in a State.
- 11.2 The State Load Despatch Centre shall
 - a. be responsible for optimum scheduling and despatch of electricity within a State, in accordance with the contracts entered into with the licensees or the generating companies operating in that State;

- b. monitor grid operations;
- c. keep accounts of the quantity of electricity transmitted through the State grid;
- d. exercise supervision and control over the intra-State transmission system; and
- e. be responsible for carrying out real time operations for grid control and despatch of electricity within the State through secure and economic operation of the State grid in accordance with the Grid Standards and the State Grid Code.

12. Procedure for grant of Green Energy Open Access

- 12.1 The Green Energy Open Access applicant shall submit an application complete in all respects, in the format as specified by Central Nodal Agency, on the central portal set up by the Central Nodal Agency.
- 12.2 The application shall be forwarded to the concerned State Nodal Agency by the Central Nodal Agency for further verification. The following time schedules shall be followed for processing the Application:

Sl. No.	Particulars	Time-line	Remarks
1	Date on which application is received by State Nodal Agency by Central Nodal Agency.	Zero date.	
2	Acknowledgement of receipt of Application	Zero date.	The acknowledgement shall be provided immediately by electronic mode
3	Acceptance of application by State Nodal Agency after confirming that all the relevant documents are furnished by the applicant including processing fees and BG	Within three working days from the zero date.	In case the application is incomplete, the State Nodal Agency shall inform the same in writing rejecting the application and furnishing the details of the defects. After rectifying the defects, a fresh application shall be made
4	Forwarding of application to JKPTCL/concerned DISCOMs.	Within Five working days from the zero date.	On acceptance of the application, the same shall be forwarded to JKPTCL / concerned DISCOMs for ensuring the system availability, metering infrastructure, no pending dues and that there is no subsisting PPA for the capacity for which the Green Energy Open Access is sought.
5	Concurrence from JKPTCL/DISCOMs.	Within Ten working days from zero date.	In case system strengthening is required, the probable date of granting OA shall be intimated to SNA within the same time. In case concurrence is not received within the specified time, SNA shall consider it to be deemed concurrence.
			Provided that the system studies at the drawl point to ascertain the availability is not required for a consumer of the 6licensee availing Open Access, subject to the applicant furnishing an undertaking t7hat, he would not exceed the contract de8mand specified in his supply agr9eement with the licensee even after opting for Open Access.
6	Grant of Green Energy Open Access or otherwise.	Within twelve working days, from the zero date.	The SNA shall intimate the applicant, the grant of OA within the time specified.
			In case OA is not granted, the same shall be intimated within the above time furnishing the reasons in writing and also

Sl. No.	Particulars	Time-line	Remarks		
			the probable date from which the OA can be granted.		
			In case, SNA fails to intimate the grant of OA or otherwise, within the above specified time, the same shall be deemed to have been granted, which is subject to system availability.		
7	Submission of agreement by the applicant for long term Open Access		In case JKPTCL/DISCOMs fail to submit the signed copies to the SNA within the specified time, the WBA is deemed to have been approved (Banking allowed only in case of solar, wind, and mini-hydel projects).		
8	Submission of signed copies of the agreement by JKPTCL/Concerned DISCOMS.	Within twenty-five working days, form zero date.	In case JKPTCL/DISCOMs fail to submit the signed copies to the SNA within the specified time, the WBA is deemed to have been approved (Banking allowed only in case of solar, wind and mini-hydel projects).		
9	Effective date for wheeling	In case the SNA receives the copy of the agreement signed by the applicant, the effective date for the commencement of operation of wheeling of electricity by the applicant shall be the next date from the date of submission of a signed copy of the agreement to the SNA. Provided that the above effective date for commencement of wheeling operation shall also be applicable for banking in the case of Solar, Wind, and Mini Hydel plants.	The applicant is allowed to wheel the energy from the effective date.		

- 12.3 The State Nodal Agency shall ensure that a non-refundable processing fee of (i) Rupees Fifty Thousand for long-term/Medium term (ii) Rupees One thousand for short-term Green Energy Open Access shall be paid by the Applicant to the Nodal Agency and the Nodal agency shall intimate the same through electronic mode of communication, immediately on receipt of the application form from Central Agency. The applicant shall pay the processing fees within one working day.
- 12.4 An application for a short-term GEOA, for power plant(s) or its/their generating unit(s) which are yet to be commissioned, shall be made not before two months prior to the commissioning date of such power plant(s) or its/their generating unit(s), to avoid unnecessary blocking of the corridor.
- 12.5 An application for long-term/medium-term GEOA shall be accompanied by a Bank Guarantee (BG) of ten thousand rupees per MW, which shall be kept valid and subsisting till the signing of an agreement for wheeling of electricity and such BG shall be encashed by the Nodal Agency if the application is withdrawn by the applicant prior to the signing of such agreement. On signing the agreement for the wheeling of electricity, the BG shall be returned immediately to the applicant by the State Nodal Agency. The BG shall be submitted within three working days from the date of intimation by the SNA.

- 12.6 In case there is any material change with regards to the location of the injection point or quantum of power to be interchanged (by more than ten percent) using the intra-State transmission and or distribution system, a fresh application shall be made for the entire capacity to ascertain the system availability and such application shall be accompanied by relevant documents, application fees and in case of long term open access with required bank guarantee for the additional capacity and in case the additional capacity sought for cannot be accommodated in the existing network, the applicant is entitled for open access to the extent of his/her original allotment.
- 12.7 Where any application is rejected for any deficiency or defect, the processing fees and Bank Guarantee, if submitted, shall be returned to the applicant and in such cases, a fresh application to the Central Nodal portal shall be made by the applicant after curing the deficiency or defect.
- 12.8 The State Nodal Agency shall communicate to the applicant through a recognized mode of communication, the grant of open access or otherwise.
- 12.9 Further, during the pendency of the application for the grant of GEOA, the applicant shall not inject any energy into the licensee's network and the licensee shall not be liable to pay any charges for the energy injected during such period.
- 12.10 Any energy injected into the licensee's network from the date of grant of open access till the date of submission of the agreement for wheeling, the applicant shall be entitled to payment of energy charges at the Average Pooled Power Purchase cost (APPC) rate or 75% of the Generic tariff determined by the Commission for the relevant year for the relevant RE source, whichever is lower.
- 12.11 The person seeking open access shall execute the agreement for the wheeling of electricity within the time specified above, failing which the open access granted or deemed to have been granted shall stand cancelled.
- 12.12 The transmission Licensee/s, distribution licensee/s, and the SLDC shall ensure proper coordination while arranging for open access.
- 12.13 New generating plant(s) or generating Unit(s) seeking long-term open across and entering into an agreement for wheeling, shall commission such plant (s) or unit (s) within twelve months from the effective date, failing which the open access granted shall be deemed to have been cancelled, to avoid unnecessary blocking of the corridor.
- 12.14 An open access consumer shall enter into commercial agreements with generators, traders, and others, as applicable, and such agreements shall include provisions pertaining to payment security mechanism.
- 12.15 The State Nodal Agency shall host on its website the details of every application received from the Central Nodal Agency and the status of such application on a continuous basis, which shall be made available to the public.
 - Provided further that the State nodal Agency shall prepare formats in line with the procedure followed by Central Nodal Agency, for smooth implementation of the Green Energy Open Access in the State/UT.

13. Procedure for applying for Day Ahead Green Energy Open Access Transactions.—

- 13.1 The applicant shall apply to the Central Portal for Day Ahead Green Energy Open Access Transactions in the standard application format.
- 13.2 For the applications received by the State Nodal Agency from the central agency, before 13.00 hrs of the day immediately preceding the day of scheduling for day-ahead Green Energy Open Access transaction, the State Nodal Agency shall check for congestion in the system and convey a grant of approval or otherwise to the applicant through e-mail or fax, not later than 15:00 Hours of the day immediately preceding the day of scheduling for the day-ahead transaction, after ensuring that there is no subsisting PPA for the capacity sought under Open Access.
- 13.3 Non-refundable processing fee of One Thousand rupees for each transaction shall be paid by the applicant, in cash or by way of a demand draft or proof of payment through electronic transfer in favour of the State Nodal Agency.
 - Provided that the actual operationalization of open access shall be effected subject to payment by the applicant of the charges as specified in these Regulations and orders passed by the Commission from time to time, before 17:00 hours of the day immediately preceding the day of scheduling for the day-ahead transaction. Where open access is denied, the State Nodal Agency shall furnish reasons thereof to the applicant.

14. Non-Utilisation of Open Access Service by Open Access Consumers

- 14.1 In the event of the inability of the short-term open access consumer to utilize for more than four hours, full or substantial part of the capacity allocated to him, such a short-term open access consumer shall inform the respective SLDC of his inability to utilize the capacity, along with reasons therefore and may surrender the use of capacity allocated to him. However, such short-term consumers shall bear full transmission and /or wheeling charges based on the original reserved capacity and the period for which such capacity was reserved.
- 14.2 A medium-term/long-term consumer shall not relinquish or transfer his rights and obligations specified in the open access agreement without prior approval of the nodal agency. The relinquishment or transfer of such rights and obligations by a long-term consumer shall be subject to payment of compensation, as per the terms of the open access agreement.
- 14.3 The SLDC may cancel or reduce the capacity allocated to a short-term open access consumer to the extent it is underutilized when such a short-term open access consumer under-utilizes the allocated capacity more than 2 times in a month with a duration of underutilization exceeding 2 hours each time or fails to inform the distribution licensee of his/her inability to utilise the allocated capacity. Such cancellation shall be resorted to after giving due notice.
- 14.4 The surplus capacity available as a result of its surrender by the short-term open access consumer under clause (i) above or reduction or cancellation of capacity by the SLDC under clause (iii) above, may be allocated to any other short-term open access consumer in the order of pending applications based on the point of injection and drawal.

15. Charges for Green Energy Open Access:

The charges for Green Energy Open Access shall be as follows:

- 1. Transmission Charges
- 2. Wheeling Charges
- 3. Cross subsidy Surcharges
- 4. Additional surcharge
- 5. Banking Charges
- 6. Standby charges, wherever applicable
- 7. Other fees and Charges such as SLDC fees and Scheduling, deviation settlement (DSM) charges as per the relevant Regulations, orders of the Commission.

16. Transmission Charges

- 16.1. For use of Inter-State transmission system: As specified by the Central Commission from time to time.
- 16.2. **For use of intra-State transmission system:** Charges shall be levied on Green Energy Open Access Consumers as determined by the Commission in MYT Transmission Tariff Orders from time to time:

Provided that, where a dedicated transmission system for open access has been constructed by Transmission Licensee and used for exclusive use of an Open Access Consumer, the Transmission Charges for such dedicated system shall be worked out by Transmission Licensee and shall get the same approved from the Commission. The charges shall be borne entirely by such Open Access Consumer till such time its surplus capacity, if any, is allotted and used by other persons or for other purposes:

Provided further that after allotment of such surplus capacity to other open access consumers, the charges shall be borne proportionately in the ratio of allotment of total capacity amongst the open access consumers:

Provided also that after utilization of such surplus capacity for other purposes by the transmission Licensee, the charges shall be reduced to the extent surplus capacity is used by Transmission Licensee:

Provided also that transmission charges shall not be applicable in case dedicated lines (as defined under Section 2(16) of the Act) constructed by generator are being utilized for supply to the Green Energy Open Access Consumer.

Provided also that in addition to transmission charges, Intra-State transmission loss shall be applicable to consumers seeking Green Energy Open Access as may be determined and notified by State Load Despatch Center, from time to time in accordance with applicable Regulations.

17. Wheeling Charges

- 17.1. Wheeling charges payable to distribution licensee, by the Green Energy OpenAccess Consumer for usage of the distribution network system shall be as determined by theCommission in the tariff order from time to time:
- 17.2. The Commission shall specify the wheeling charges of the Distribution Wires Business of the Distribution Licensee in its Order passed under sub-section (3) of Section 64 of the Act:

Provided that, where a dedicated distribution system for open access has been constructed by distribution Licensee and used for exclusive use of an Open Access Consumer, the Wheeling Charges for such dedicated system shall be worked out by the Distribution Licensee and shall get the same approved from the Commission. Such charges shall be borne entirely by such Open Access Consumer till such time its surplus capacity, if any, is allotted and used by other persons or for other purposes:

Provided further that after allotment of such surplus capacity to other open access consumers, the charges shall be borne proportionately in the ratio of allotment of total capacity amongst the open access consumers:

Provided also that after utilization of such surplus capacity for other purposes by the distribution Licensee, the charges shall be reduced to the extent surplus capacity is used by distribution Licensee.

Provided also that wheeling charges shall not be applicable in case dedicated lines (as defined under Section 2(16) of the Act) constructed by generator are being utilized for supply to the Green Energy Open Access Consumer.

Provided also that in addition to wheeling charges, wheeling loss shall be applicable to consumers seeking Green Energy Open Access as may be determined in the Retail Supply Tariff Order of the Commission issued from time to time in accordance with applicable Regulations.

18. Cross Subsidy Surcharge

Cross Subsidy Surcharge shall be levied on Green Energy Open Access Consumers as determined by the Commission in its Retail Supply Tariff Order from time to time.

Provided that the Green Energy Open Access consumer, in addition to transmission and/or wheeling charges as applicable, shall be required to pay cross subsidy surcharge on actual energy drawn during the month through open access. The amount of surcharge shall be paid to the distribution licensee in whose area of supply such consumer is situated.

Provided also that such cross-subsidy surcharge shall not be levied in case open access is provided to a person who has established a captive generation plant for carrying the electricity to the destination of his own use.

Provided also that Cross Subsidy Surcharge shall not be applicable in case power produced from a non-fossil fuel-based Municipal Solid Waste-to- Energy plant is supplied to the Open Access Consumer;

Provided also that Cross-Subsidy Surcharge shall not be applicable if green energy drawn through green energy open access is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

Provided further that the cross-subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumer purchasing green energy, from a generating plant using green energy (renewable energy) sources, shall not be increased, duringtwelve years from the date of operating of the generating plant using renewable energy sources, by more than fifty percent of the surcharge fixed for the year in which open access is granted;

Provided further that Cross-Subsidy Surcharge shall not exceed 20% of the Average Cost of Supply (ACoS) as applicable to the category of the consumers seeking Green Energy Open Access.

19. Additional Surcharge

Cross Subsidy Surcharge shall be levied on Green Energy Open Access Consumers as determined by the Commission in its Retail Supply Tariff Order from time to time.

Provided that the Green Energy Open Access consumer, in addition to transmission and/or wheeling charges as applicable, shall be required to pay additional surcharge on actual energy drawn during the month through open access. The amount of additional surcharge shall be paid to the distribution licensee in whose area of supply such consumer is situated.

Provided that the additional surcharge shall not be applicable for green energy open access consumers, if fixed charges are being paid by such a consumer:

Provided also that such additional surcharge shall not be levied in case open access is provided to a person who has established a captive generation plant for carrying the electricity to the destination of his own use.

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable in case power produced from a non-fossil fuel-based Municipal Solid Waste-to- Energy plant is supplied to the Open Access Consumer;

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable if green energy drawn through green energy open access is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.

Provided also that Additional Surcharge shall not be applicable if green energy is supplied to the green energy open access consumer from Off-Shore Wind Projects which are Commissioned upto December-2025.

20. Standby charges

Standby facility shall be granted to Green Energy Open Access Consumer on payment of standby charges as determined by the Commission in its Retail Supply Tariff Order from time to time.

Provided that in case the green energy open access consumer is unable to procure/schedule power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission systems and the like, standby arrangement shall be provided to Green Energy Open Access consumer by the distribution licensee of the area of its supply:

Provided that the Standby charges for Green Energy Open Access shall not be more than twenty-five per cent of the tariff applicable to the consumer category in the prevailing rate schedule specified in relevant Tariff Order passed by the Commission on year-to-year basis.

Provided also that the standby charges shall be in addition to the applicable tariff on standby energy supplied by the Distribution Licensee to the Green Energy Open Access Consumer.

Provided further that the standby charges shall not be applicable, if the green energy open access consumer has given notice, in advance at least a day in advance before gate closure in Day Ahead Market (DAM) on "D - 1" day, 'D'being the day of delivery of power for standby arrangement to the distribution licensee.

21. Banking facility and charges

- 21.1 Banking facility shall be provided to the consumers availing Green Energy Open Access. The surplus energy of a Green Energy Open Access consumer, from a Green Energy Generating Station, after consumption in its premises, may be banked with the Distribution licensee.
- 21.2 The drawal of banked energy shall be subject to Scheduling.
- 21.3 The injection of energy from 'Green Energy' Generating Station to the grid shall also be subject to scheduling subject to the limits as specified in the applicable Forecasting, Scheduling, Deviation settlement Mechanism and related matters of wind and Solar generating stations Regulations and relevant Orders of the Commission on different renewable energy based (Green Energy) projects as notified by the Commission from time-to-time.
- 21.4 The Banking Charges shall be adjusted in kind @ 8% of the energy banked.
- 21.5 The permitted quantum of banked energy by the green energy open access consumers shall be at least 30% of total monthly consumption of electricity from the distribution licensee by the green energy open access consumers.
- 21.6 The banking shall be permitted on monthly basis on payment of banking charges to the distribution licensee.

Provided that the credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent banking cycles and shall be adjusted during the same banking cycle as per the energy injected in the off-peak and peak periods determined by the Commission in its Retail Supply Tariff Order from time to time.

Provided further that, the energy banked during peak period shall be permitted to be drawn during peak as well as off-peak periods in 15-minute time block and the energy banked during off-peak period shall be permitted to be drawn only during off-peak periods in 15-minute time block by paying the banking charges.

Provided also that the licensee shall reconcile the banking charges recovered as mentioned in clause 21.4 above at the end of each financial year on the basis of actual cost of power purchase arranged by the licensee to return banked energy and additional expenses, if any, through a separate petition along with the truing up petition of Retail Supply Tariff of subsequent financial year.

Provided further that the unutilized surplus banked energy shall be considered as lapsed at the end of each month and the renewable energy generating station shall be entitled to get Renewable Energy Certificate (REC) to the extent of the lapsed banked energy.

21.7 In case the generator situated in the UTs of J&K and Ladakh and connected with the Inter-State Transmission System (ISTS) grid and selling power outside the UTs of J&K and Ladakh, the banking charges shall not be applicable.

22. Scheduling fees and Deviation Charges

- 22.1. In addition to the above charges, the Consumer availing Green Energy Open Access shall also pay the following charges determined by the Commission as per the provisions of relevant regulations of the Commission as notified from time to time.
 - a) Applicable SLDC/RLDC fees and charges including scheduling charges
 - b) RE Deviation Settlement Charges (RE-DSM)

23. Payment Security Mechanism

The Green Energy Open Access consumer, seeking access to long-term, medium-term, or short-term Green Energy Open Access, must open and provide an irrevocable Revolving Letter of Credit (LC) or Bank Guarantee (BG) in favor of the agency responsible for collecting various charges specified in these regulations. This LC/BG should cover the estimated amount of these charges for a two-month period. This financial instrument must be made available to the State Nodal Agency and the licensee during the Green Energy Open Access period. Failure to provide these valid financial instruments as payment security will result in the cancellation of the granted green energy open access.

24. Curtailment Priority:

In case due to transmission/distribution system constraints or otherwise, it is necessary to curtail the service, the following priority shall be followed:

- a) The short-term open-access consumers (other than GEOA consumers) shall be curtailed first followed by short-term GEOA consumers.
- b) Next, medium-term OA consumers (other than GEOA consumers) followed by medium-term GEOA consumers shall be curtailed.
- Next long-term OA consumers (other than GEOA consumers) followed by long-term GEOA consumers shall be curtailed.

Provided that within a category, the GEOA consumers shall have equal curtailment priority and shall be curtailed on a pro-rata basis.

Provided further that distribution licensees shall be curtailed as a last resort.

25. Dispute Resolution:

All disputes and complaints relating to GEOA shall be made to the SLDC, which may investigate and endeavour to resolve the grievance.

No application for open access shall be denied unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter.

If the SLDC is unable to redress the grievance, a Petition against the order of the State Nodal Agency shall be filed before the State Commission, within a period of thirty days from the date of receipt of the Order.

The Commission shall dispose of the matter within three months and orders of the Commission shall be binding.

26. Special Energy Meters

- 1) Tri-vector meters with Time of the Day (TOD) facility shall be installed by the GEOA Generators/consumers.
- 2) The meters shall be capable of time-differentiated measurements (15 minutes) of necessary parameters. These meters shall always be maintained in good condition and shall be open for inspection by any person authorized by the State nodal agency.
- 3) The meter shall include CTs, PTs, and associated accessories and shall be tested and calibrated at least once in a year.
- 4) The meters shall be sealed by the distribution licensee in whose area the Generator/Consumer is situated.
- 5) In case the meter is provided by the transmission/distribution licensee, the open-access consumer shall pay for its rent and also provide a meter security deposit.

- 6) The meter shall be capable of communicating its reading to SLDC on real-time basis.
- 7) The metering code prevailing in the State/UT shall be applicable to the GEOA consumers also.

27. Energy losses

Energy losses of the transmission and distribution system shall be applicable to the GEOA consumers as specified by the Commission from time to time.

28. Compliance of Grid Code/Distribution Code

GEOA consumers shall abide by the JERC for the UT of J&K and the UT of Ladakh (State Grid Code) Regulations 2023, JERC for the UT of J&K and the UT of Ladakh (Distribution Code) Regulations, 2023, all other Codes and Standards, DSM Regulations as applicable from time to time.

29. Collection and Disbursement of charges

The charges in respect of GEOA consumers shall be payable directly to the State Nodal agency in accordance with the terms and conditions of payment as specified by the State Nodal agency. SNA shall disburse the amount received to the appropriate licensees (Transmission charges to the transmission licensee and distribution network charges to the appropriate distribution licensee).

Other GEOA charges, in case of more than one licensee, is supplying in the same area, the licensee from whom the consumer was availing supply shall be paid the amounts so collected.

30. Information System:

- 1) SLOC shall post the following information on a separate web page titled "Green Energy Open Access Information" and also issue a monthly and annual report containing such information;
 - a) A status report on long term consumers/medium-term/short-term consumers;
 - b) Floor rate for bidding in case of congestion
 - c) Peak load flows on EHV and HV lines
 - d) Information regarding average loss in the transmission system and distribution system as determined by the licensee/s on a monthly basis.
- 2) The information shall be updated upon every change in status.
- 3) All previous reports: shall be available in the web-archives.
- 4) The SLDC shall post the above information on its website within one month from the date of notification of these Regulations.

31. Reports:

The Distribution/Transmission licensee shall submit a report to the Commission or as often requested by the Commission the information in the following format:

Sl.No.	Name and address of the access/wheeling consumer	Point of injection	Point of drawal	Capacity allowed (MW)	Period of Open access allowed	Actual annual utilization of energy in MU

32. Communication facility

JAKEDAconsumers shall have the requisite communication systems in place to facilitate seamless communication of data/orders/ information to/from the State Nodal Agency.

33. Issue of orders and practice directions

Subject to the provision of the Electricity Act, 2003 and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of the Regulations and procedures to be followed.

34. Power to remove difficulties

In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by general or special order, direct the GEOA consumers, generators and the licensees to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of Electricity Act, 2003, which appears to the Commission to be

necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. The GEOA consumers/licensees may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulties that may arise in the implementation of these Regulations.

35. Power to amend:

The Commission may from time to time add, vary, alter, modify, or amend any provisions of these Regulations after following the necessary procedures.

36. Interpretation:

The decision of the Commission regarding the interpretation of these Regulations shall be final and binding.

By Order of the Commission.

V. K. DHAR, (JKAS) Secy. [ADVT.-III/4/Exty./777/2023-24]